Title : Need to review the removal of mandatory requirement of permission of district administration for sale of land owned by SCs and STs to non-SCs/STs in Uttar Pradesh-Laid.

श्रीमती संगीता आज़ाद (लालगंज): अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भूमि जिला अधिकारी के अनुमति के बिना बेची जा सकती है यह जो नियम में बदलाव हुआ है उसके क्या कारण है! अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास पहले ही बहुत सीमित भूमि उपलब्ध थी । पहले इन भूमियों को बेचने के लिए जिला अधिकारी से अनुमति ली जाती थी । लेकिन हाल के दिनों में यूपी विधानसभा में यह नियम लागू किया गया है कि बिना जिलाधिकारी के अनुमति के जमीन बेची या खरीदी जा सकती है जिसके परिणाम स्वरूप दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, सीमित भूमि के मालिकों से सामंतवादी प्रवृति के लोगों द्वारा जबरन धमकाकर उनकी जमीन हड़पने के केस बहुत बढ़ जाएंगे । इसलिए इस नियम में सुधार किया जाए । साथ ही ठेकेदारी में आरक्षण को लागू किया जाए और जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद खाली पड़े हैं, उनको बैकलॉग के माध्यम से जल्द से जल्द भरा जाए और निजी संस्थानों में आउटसोर्सिंग द्वारा भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किया जाए ।